आखिरी जांच: 4 अक्टूबर 2026 · Department of Youth Empowerment and Entrepreneurship, Directorate of Employment, Haryana

Educated Youth Allowance and Honorarium Scheme 2016 (Saksham Yuva Scheme)

हरियाणा की यह योजना पढ़े-लिखे बेरोज़गार युवाओं को हर महीने बेरोज़गारी भत्ता देती है और सरकारी दफ्तरों में महीने में 100 घंटे तक का मानदेय वाला काम भी देती है। इसे आम तौर पर सक्षम युवा योजना कहा जाता है।

क्या मिल सकता है

हर महीने बेरोज़गारी भत्ता: 10+2 पास को Rs 1,200, स्नातक को Rs 2,000 और स्नातकोत्तर को Rs 3,500। मानद काम मिलने पर हर महीने Rs 6,000 मानदेय मिलता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल या 35 साल की उम्र तक, जो पहले हो, मिलता है।

किसके लिए है

हरियाणा के बेरोज़गार युवा, जिन्होंने नियमित विद्यार्थी के रूप में 10+2, स्नातक या स्नातकोत्तर पास किया है।

मुख्य शर्तें

- आवेदक हरियाणा का मूल निवासी हो और रोज़गार कार्यालय के लाइव रजिस्टर में पंजीकृत हो (पंजीकरण साथ-साथ hrex.gov.in पर भी हो सकता है)।
- 10+2 पास के लिए उम्र 18 से 35 साल, और स्नातक व स्नातकोत्तर के लिए 21 से 35 साल हो।
- 10+2 हरियाणा या चंडीगढ़ के BSEH, CBSE या ICSE से जुड़े स्कूल से नियमित विद्यार्थी के रूप में पास हो, पत्राचार या ओपन स्कूल से नहीं। डिग्री हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली के विश्वविद्यालय या पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला से नियमित कोर्स से हो।
- आवेदक पूर्णकालिक विद्यार्थी न हो, कोई नौकरी या स्वरोज़गार न करता हो, और सरकारी नौकरी से बर्खास्त न किया गया हो।
- परिवार की सभी स्रोतों से सालाना आय Rs 3,00,000 से ज़्यादा न हो।

दस्तावेज़

- परिवार पहचान पत्र (PPP आईडी), जिससे पारिवारिक आय ऑनलाइन जाँची जाती है

आवेदन कैसे करें

1. अगर पहले नहीं किया है तो hrex.gov.in पर रोज़गार कार्यालय के लाइव रजिस्टर में पंजीकरण करें।
2. सक्षम युवा पोर्टल (hreyahs.gov.in) पर साइन अप करके ऑनलाइन पंजीकरण करें। पंजीकरण केवल ऑनलाइन होता है।
3. आपकी पारिवारिक आय PPP डेटाबेस से ऑनलाइन जाँची जाती है, इसलिए आय प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है।
4. अगर ज़िला रोज़गार कार्यालय आवेदन खारिज करे तो आप 30 दिन के भीतर एडीसी को और फिर 15 दिन के भीतर डीसी को ऑनलाइन अपील कर सकते हैं।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://hreyahs.gov.in/aboutus
आधिकारिक आवेदन: https://hreyahs.gov.in/preregistration
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/haryana/hr-saksham-yuva/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।